(१५)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

हरिद्वार की

३२ वीं बैठक

दिनांक २५-५-२०००

Scanned by CamScanner

प्रेषक

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवामें,

1- श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव, आवास उ0प्र0शासन,लखनऊ । — सचिव, आवास के नामित सदस्य
2- एकीकृत वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग,उ0प्र0शासन, लखनऊ । — सचिव, वित्त विभाग के नामित सदस्य
3- सचिव उत्तराखण्ड विभाग, उ0प्र0शासन,लखनऊ । — सदस्य
4- जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार । — सदस्य
5- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7-बन्दरिया बाग उ0प्र0शासन,लखनऊ । — मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
6- अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ0प्र0 जल निगम सहारनपुर । — प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम के नामित सदस्य
7- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरिद्वार । — पदेन सदस्य
8- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद,ऋषिकेश । — पदेन सदस्य
9- अध्यक्ष, नगरपंचायत रानीपुर, हरिद्वार । — पदेन सदस्य
10- अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती, टिहरी-गढ़वाल । — पदेन सदस्य
11-श्रीमती ऊषा भारद्वाज, कृष्णानगर कनखल । — गैर सरकारी नामित सदस्य

संख्या: 301 प्रशा0-2(ग)-1-6/97 दिनांक, मई 2000

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 32 वी बोर्ड बैठक परिचालन विधि से ।

महोदय,

शासनादेश सं0-65/आ0ब0-भवन उपविधि/99-2000 दि0 20-04-2000 आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 आवश्यक परिष्कारों सहित इस निर्देश के साथ प्राप्त हुए है कि उक्त आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को हरिद्वार विकास प्राधिकरण में अंगीकृत कर लिया जाय । अत: उक्त शासनादेश आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष परिचालन विधि के माध्यम से विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार,

भवदीय

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार ।

Scanned by CamScanner

आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 में आवश्यक परिष्कारों का अंगीकरण

(95)

शासनादेश सं0-566/आ0ब0-शासनादेश संकलन/99 दि0 30-12-99 द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 का आदर्श प्रारूप प्राप्त हुआ था। इसे प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दि0 29-02-2000 में परिचालन विधि से अंगीकृत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-65/आ0ब0-भवन उपविधि/99-2000 दि0 20-04-2000 द्वारा आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कतिपय अतिरिक्त संशोधन प्रस्तावित किये गये है। तदनुसार उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए इस आदर्श प्रारूप को परिचालन द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

5/5/2000
सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

06/5/2000.
उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

10/05/2000
अध्यक्ष
नगर पंचायत
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल

14/5/2000
प्रभारी अधिकारी
नगर पंचायत B.H.E.L.
रानीपुर (जिला हरिद्वार)

10/5/2000
स्नेहलता शर्मा
अध्यक्षा
नगर पालिका परिषद ऋषिकेश

उ भारद्वाज
सदस्या
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

14/5/2000
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

परिचालन के माध्यम से हरिद्वार विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया।

25/5
अध्यक्ष सुभाष कुमार मण्डलायुक्त
विकास प्राधिकरण अध्यक्ष/आयुक्त सहारनपुर
हरिद्वार

Scanned by CamScanner

(iii) अध्याय–7 जो पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु अपेक्षाओं से सम्बन्धित है, में उपविधि संख्या–7.2 (भवन की मॉपें एवं मानक) की टिप्पणी–1 के स्थान पर निम्न प्राविधान रखा गया है:–

"कैनोपी का निर्माण सेट–बैक लाइन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।"

(iv) अध्याय–3 के भाग–4 की उपविधि संख्या–3.4.1(v) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि थी जिसमें निम्न शुद्धीकरण किया गया है:–

"विशेष परिस्थितियों में कोने के भूखण्ड के साईड सेट–बैक में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छूट दी जा सकेगी।"

(v) अध्याय–3 के भाग–4 की उपविधि संख्या 3.5.1 की टिप्पणी (iii) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी जिसके निराकरण हेतु टिप्पणी (iii) की तृतीय पंक्ति में "शैक्षणिक संस्थाएं आदि" के पश्चात् "तथा आवासीय" शब्द जोड़े गए हैं।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्राधिकरणों द्वारा आदर्श भवन उपविधि, 1999 को अभी तक अंगीकृत नहीं किया गया है, उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए बोर्ड से अंगीकृत/अनुमोदित कराने के उपरान्त अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विधि विभाग द्वारा विधीक्षित पूर्णता प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित प्रपत्रों की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (17 पृष्ठ)।

(रामबृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या (1)/आ0ब0–भवन उपविधि/99–2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

(रामबृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या 65 /आ0ब0–भवन उपविधि/99–2000

प्रेषक,

श्री रामबृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : मार्च 20, 2000

आवास बन्धु

विषयः आदर्श भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 566/आ0ब0–शासनादेश संकलन/99 दिनांक 30.12.1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 1999 (आदर्श प्रारूप) को अंगीकृत किए जाने विषयक है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श भवन उपविधि में विभिन्न अधिभोगों / उपयोगों हेतु शामिल किए गए पूर्णता प्रमाण–पत्रों के प्रारूप तत्समय विधि विभाग के विधीक्षण हेतु विचाराधीन थे जो विधि विभाग द्वारा अब विधीक्षित किए जा चुके हैं । विधि विभाग द्वारा प्रपत्रों में चूंकि कतिपए अल्प संशोधन किए गए हैं, अतः शासन द्वारा आदर्श भवन उपविधि में संशोधित प्रपत्रों को समाविष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कतिपए विकास प्राधिकरणों से भवन उपविधियों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्राप्त हुए थे जिनका समावेश भी आदर्श भवन उपविधि में किया जा रहा हैः–

(i) अध्याय–3(भाग–3) की उपविधि संख्या 3.3.6 में ग्रुप हाऊसिंग हेतु प्रति आवासीय इकाई का अधिकतम तल क्षेत्रफल निर्धारित नही था, जो 125 वर्ग मीटर रखा गया है।

(ii) अध्याय–3(भाग–4) की उपविधि संख्या 3.4.2 जो व्यवसायिक/कार्यालय/संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं (10 मीटर ऊँचाई तक) के भवनों हेतु सेट–बैक के सम्बन्ध में है, के अन्तर्गत 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों हेतु सैट–बैक निर्धारित नही था, अतः उपविधि संख्या 3.4.2 की टिप्पणी (ii) पर निम्न प्रावधान जोड़ा गया हैः–

"200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों में न्यूनतम सेट–बैक 3 मीटर अनुमन्य होगा।"

(87)

परिशिष्ट-1

विकास/पुर्नविकास हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(उपविधि संख्या 2.1.1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
. . . . . .

महोदय,

मैं एतद्द्वारा यह आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करता हूँ कि मैं सजरा संख्या . . . . . भूखण्ड संख्या . . . . . उपनिवेश/मार्ग . . . . . मोहल्ला/बाजार . . . . . नगर . . . . . में विकास/पुर्नविकास करने का इच्छुक हूँ और भवन उपविधियों के सुसंगत उपविधि संख्या 2.1.1 के अनुसार आवेदित करता हूँ और मैं इसके साथ मानचित्रों एवं विशिष्टियों (मद 1 से 6) चार प्रतियों में जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित की गई हैं, और अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति . . . . . (नाम मोटे अक्षरों में) . . . . . अनुज्ञापित संख्या . . . . . जो कि विकास कार्य का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा भी हस्ताक्षरित की गई हैं और प्रत्येक विवरण/प्रपत्र (मद 7 से 9) संलग्न करता हूँ।

1. की प्लान
2. साइट प्लान
3. महायोजना में स्थिति का मानचित्र
4. तलपट मानचित्र
5. सर्विसेज प्लान
6. विशिष्टियाँ
7. स्वामित्व प्रमाण-पत्र
8. आवेदन शुल्क की प्रमाणित प्रतिलिपि
9. आवश्यक सूचनाएं एवं दस्तावेज

मैं निवेदन करता हूँ कि योजना अनुमोदित कर दी जाए और भूमि को विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम . . . . . .
(मोटे अक्षरों में) . . . . . .
स्वामी का पता .-----

दिनाक :

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-2

भूमि विकास का कार्य आरम्भ करने की सूचना

(उपविधि संख्या 2.1.6)

सेवा में,

. . . . . .

विकास प्राधिकरण,

. . . . . .

महोदय,

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि भूमि का विकास कार्य जो खसरा संख्या . . . . . भूखण्ड संख्या . . . . . पर उपनिवेश/मार्ग . . . . . मोहल्ला/बाजार . . . . . नगर . . . . . में स्थित है, दिनांक . . . को आपकी स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र संख्या . . . . . दिनांक . . . . . के अनुसार आरम्भ किया जाएगा जो अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति . . . . . (नाम) . . . . . अनुज्ञापित संख्या . . . . . द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

स्वामी के हस्ताक्षर

. . . . . .

स्वामी का नाम . . . . . .

(मोटे अक्षरों में)

दिनांक :

स्थान :

स्वामी का पता . . . . . .

. . . . . .

Scanned by CamScanner

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)
(I)	प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर सेकेण्डरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिस्पेन्सरी						
(V)	अस्पताल						
(VI)	पोस्ट आफिस						
(VII)	कम्युनिटी सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX)	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	टैक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	जन-सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें:-

(I) सड़कें

(II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण(आरबोरीकल्चर)

(III) पुलिया (कल्वर्ट)

(IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था

(V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

(VI) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।

(VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति ।

(VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

(IX) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।

(X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफामर्स तथा 11 के०वी०ए० सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मरस् की क्षमता अंकित हो।

Scanned by CamScanner

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

7.4(अ) बेसमेन्ट(क्षेत्रफल व०मी० में)

7.4(ब) बेसमेन्ट का उपयोग

7.5 स्टिल्ट फ्लोर

(अ) क्षेत्रफल

(ब) उपयोग

7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व०मी० में)

7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में)

7.8 मंजिलों की संख्या

8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(फायर आफिसर से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए:

(क) जल-आपूर्ति

(ख) मलोत्सारण

(ग) जल निकास

(घ) विद्युत आपूर्ति

(ङ) लिफ्ट

(चीफ इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर, उ०प्र० से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10. गारवेज शूट (है/नही)

11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
एविऐशन लाइट्स लगी हैं/नही लगी हैं

12. भवन में आन्तरिक परिवर्तन:

(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नही है

(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हॉ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधि के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1.

2.

3.

दिनांक .....

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित)

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण प संलग्न किया जाएगा ।

2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

Scanned by CamScanner

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती . . . . . (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या. . . . . खसरा संख्या - - - - - - - पर स्थित भवन संख्या - - - - - - - का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :-

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है । इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता . . . . . .
नाम/पता . . . . . .
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या . . . . . .
दिनांक . . . . लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . . . .

भाग-स

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

(आवेदन पत्र के भाग 'अ' एवं 'ब' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

- - - - - - वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या - - - - - - पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री - - - - (पदनाम) - - - - विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक - - - - - को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 की धारा-15 क (2) सपठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पूर्णता-प्रमाण पत्र प्राप्त करने की रीति) नियमावली, 2000 के नियम संख्या-6 के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर . . . . . .
पदनाम . . . . . .
कार्यालय की मुहर
दिनांक . . . . .

Scanned by CamScanner

(111)

प्रपत्र "स"

एकल आवास, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुमंजिला भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

नियम संख्या-3

(उपविधि संख्या 3.1.8)

. . . . हरिद्वार . . विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I)आवेदक का नाम - - - - - - - - - - - - - - - -
   (II)वर्तमान पता - - - - - - - - - - - - - - - -

2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड - - - - - - - - - - - - - - - -

3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में) - - - - - - - - - - - - - - - -

4. अनुमन्य उपयोग - - - - - - - - - - - - - - -

5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि - - - - - - - - - - - - - - - -

   (II) परमिट संख्या - - - - - - - - - - - - - - - -

   (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण : - - - - - - - - - - - - - - - -
   यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो :- - - - - - - - - - - - - - - -
   मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें - - - - - - - - - - - - - - - -

6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें - - - - - - - - - - -

   (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि व रसीद संख्या एवं उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें। - - - - - - - - - - -

Scanned by CamScanner

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता का प्रमाण पत्र
(एकल आवास, ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक भवन, बहुमंजिला भवन के अतिरिक्त अन्य भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती . . . . . (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या - - - - - - पर स्थित भवन संख्या - - - - - - - - का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :-

निर्मित भवन लागू उपविधियों एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र. अथवा स्वीकृत/शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक-7 पर अंकित कर दिया गया है।

भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है । इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर . . . . . .
नाम/पता . . . . . .
काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर की पंजीकरण
दिनांक . . . . संख्या/लाइसेन्स संख्या . . . . . .
लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . . .

भाग-स

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :
(आवेदन पत्र के भाग-अ एवं ब की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

- - - - - - - - - वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या - - - - - - पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री - - - - - (पदनाम) - - - विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक - - - - - को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विका अधिनियम,1973 की धारा-15 क (2) सपठित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की रीति) नियमावली, 2000 के नियम संख्या-6 के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर . . . . . .
पदनाम . . . . . .
कार्यालय की मुहर . . . . .
दिनांक. . . . . .

Scanned by CamScanner